

निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 62/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. छीतर मल शेषवत पुत्र स्व. श्री रामदेव जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला, जयपुर ।
2. भैरू लाल पुत्र स्व. श्री रामदेव जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र झूथा (मृतक दौराने दावा)
6/1. ग्यारसी पत्नी स्व. कन्हैयालाल
6/2. अजय कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल
6/3. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल
.निवासी ग्राम पिण्डोलाई, पोस्ट माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
6/4. गुल्ली देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल पत्नी श्री जयराम दातेल जाति जाट
6/5. सुनीता देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल पत्नी श्रवण लाल दातेल जाति जाट
6/6. अनिता देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल पत्नी श्री ओम प्रकाश दातेल जाति जाट
निवासी ग्राम किशोरपुरा, पोस्ट विन्दायका, नगर निगम ग्रेटर, वार्ड नं. 45, तहसील व जिला जयपुर ।
2. प्रभाती लाल पुत्र श्री रामनाथ
3. सोहन लाल पुत्र श्री रामनाथ
4. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामनाथ
5. रतन लाल पुत्र श्री रामनाथ
6. मांगीलाल पुत्र झूथा
6/1. मनभर देवी पत्नी स्व. मांगीलाल
6/2. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
6/3. राजूलाल पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
6/4. रूडी देवी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल पत्नी रामेश्वर जाट
6/5. नन्ही देवी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल पत्नी मोतीराम जाट
6/6. विमला देवी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल पत्नी नन्छूराम
6/7. लाली देवी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल पत्नी गोपाल जाट
7. लालचन्द पुत्र रामनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर ।
8. रतन लाल चौधरी पुत्र श्री सूरजमल चौधरी, निवासी बी-18, शिल्प कालोनी, झोटवाडा, जयपुर।



ला कलक्टर
जयपुर

9. दिनेश सिंह शेखावत पुत्र श्री मदन सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी डी-77 प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।
11. श्रीमती अरशदीप बरार आर.ए.एस. सहायक कलक्टर शहर प्रथम।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 29/2019 ब उनवानी छीतरमल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने।

उपस्थित:-

1. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महावीर शेरावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6, 2 लगायत 5, व 6/1 लगायत 6/7 की ओर से।



निर्णय

दिनांक 19.05.2022

1. सक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 29/2019 ब उनवानी छीतरमल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6, 2 लगायत 5, व 6/1 लगायत 6/7 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर शेरावत उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण द्वारा एक वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, उसके पश्चात कुर्रैजात रिपोर्ट मंगवाये गये थे। वादीगण द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की थी जो दिनांक 25.02.2022 को खारिज कर दी गई थी। जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां प्रस्तुत कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2022 को तारीख पेशी नियत थी जिस दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुने ही प्रकरण में अन्तिम निर्णय करने को उतारू थी। जब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में निवेदन किया कि अभी प्रार्थी के


कलक्टर
जयपुर

प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना है। इस पर भी न्यायालय ने प्रार्थी के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय येनकेन प्रकारेण प्रकरण का प्रतिवादी के हक में निस्तारण करने पर आदामा है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी प्रकार की न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के यहां प्रतिवादीगण ने पीठासीन अधिकारी अरशदीप बरार के साथ चैम्बर में दिनांक 10.03.2022 को मुलाकात की, उस दिन प्रार्थी के मुकदमें की तारीख होने के कारण प्रार्थी न्यायालय में ही उपस्थित था, परन्तु पीठासीन अधिकारी से चैम्बर में उपरोक्त लोगो ने मुलाकात की तथा बाहर प्रतिवादीगण ने प्रार्थी का एलानियां धमकी दी कि उसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा तुम अपनी जमीनें बेच दो, नहीं तो इस तरीके से भूमि का तकास्मा कराऊंगा न तो भूमि का उपयोग कर पाओगे न ही कोई रास्ता मिलेगा। प्रतिवादीगण के स्वयं के साथ उपस्थित होकर चैम्बर में मिलना व उसके पश्चात उनके द्वारा प्रार्थीगण को धमकी देना स्पष्ट जाहिर करता है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी ने भी प्रार्थी के प्रकरण की सुनवाई करते हुये प्रार्थीगण के हितों के विपरीत प्रकरण को तय कर देगी। जिससे प्रार्थी को यह पूरा विश्वास हो गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा। अधीनस्थ अधिकारी के रवैये से स्पष्ट हो गया है कि वह बिना विवाधक कायम किये हुये व बिना साक्ष्य के अप्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर भी गौर ना कर वादी के हित में मुकदमें का निस्तारण उसके कहे अनुसार यथाशीघ्र कर देगी जिससे प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी न्याय से वंचित हो जावेगा। न्याय का यह पवित्र सिद्धान्त है कि न्याय दिखना भी नहीं न्याय होना भी चाहिये, परन्तु अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मामले के पक्षकारों से उनके अधिवक्ताओं के होते हुये भी उनके साथ पीठासीन अधिकारी अरशदीप की मौजूदगी में मुलाकात करना यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसका मुकदमा अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि वादी के निवेदन पर ही प्राथमिक डिकी जारी की गई थी। जिसके उपरान्त कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त हुई। वकील वादी द्वारा कुर्रजात बाबत पहले दिनांक 05.07.2021 को रिब्यु प्रार्थना पत्र पेश किया जो वादी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को बिना किसी शर्त के विद्वा किया गया। उसके उपरान्त दिनांक 14.07.2021 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. व आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई डिकी की वादी ने ही राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो खारिज हो गई। दिनांक 11.03.2022 को वादी द्वारा फिर से 2 प्रार्थना पत्र प्रथम मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु तथा दूसरा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. के तहत पेश किये गये। प्रार्थी ने सरासर गलत व काल्पनिक आरोपों के साथ प्रकरण में

अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब पैदा करने हेतु यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन विभाजन का वाद वादीगण की सहमती के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया है। कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त होने के 9 माह बाद भी प्रकरण कुर्रैजात बहस में नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश किये जाने से पूर्व उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थी ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर यह पाया गया है कि सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
9. निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



Rg
 (राजन विशाल)
 जिला कलक्टर
 जयपुर